महत्वपूर्ण/अत्यन्त आवश्यक

संख्या:4-37 /18(1)/2006

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल।
2. आयुक्त गढ़वाल/कुमाऊं।
3. समस्त जिलाधिकारी।
4. निदेशक, प्रशासन अकादमी, नैनीताल।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तरांचल।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक 12 जून, 2006

विषय: केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2006-07 में धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या-18014/9/2001-एल0आर0डी0 दिनांक 1.6.2006 (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा रू0 158.20 लाख रू0 शासनादेश संख्या-9 जी0आई0/18(1)/2006 दिनांक 27.5.2006 के द्वारा मुख्य राजस्व आयुक्त को अवमुक्त किये गये थे। यह धनराशि निम्न प्रयोजन हेतु भारत सरकार से प्राप्त हुई है:-

1.	प्रत्येक जनपद स्तर पर भू-अभिलेख डाटा केन्द्र की स्थापना-प्रति जनपद रू0 8.50 लाख	रू0 110.50 लाख
2.	प्रदेश स्तर पर मॉनिटरिंग केन्द्र की स्थापना प्रदेश मुख्यालय के लिये एक बार अनुदान-	रू0 20.00 लाख
3.	राजस्व कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण-	रू0 27.70 लाख
	योग-	रू0 158.20 लाख

क्रमांक-1 पर अंकित जनपद स्तरीय डाटा सेन्टर स्थापित करने के लिये सहायक भू-लेख अधिकारी के कार्यालय के समीप 400 वर्ग फिट क्षेत्रफल के कक्ष की आवश्यकता होगी। कक्ष का चयन करने के बाद उसका निरीक्षण जनपद स्तरीय जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से भी उसकी उपयुक्तता के संबंध में मन्तव्य प्राप्त कर लें। इस कक्ष में कम से कम 10 कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी है।

कक्ष चयन की सूचना जिलाधिकारी द्वारा मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल देहरादून को दी जायेगी, जो जनपद से कक्ष की उपलब्धता की सूचना प्राप्त होने पर साइट प्रीप्रेशन, जेनरेटर तथा ए0सी0 हेतु निर्धारित धनराशि जनपद को उक्त शासनादेश में उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से निर्गत करेंगे।

जिला डाटा सेन्टर के लिये आवश्यक हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर तथा फर्नीचर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा केन्द्रीय स्तर पर रेट कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर साइट प्रीप्रेशन की सूचना प्राप्त होने के बाद की जायेगी। जनपद स्तर पर स्थापित डाटा सेन्टर का सम्पर्क तहसीलों से टेलीफोन के माध्यम से डाटा ट्रांसफर के लिये आवश्यक होगा। अतः इस डाटा सेन्टर पर टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की भी आवश्यकता पड़ेगी।

कमांक–2 पर अंकित मॉनिटरिंग केन्द्र की स्थापना के लिये अलग से कार्यवाही की जा रही है।

कमांक–3 में अंकित धनराशि राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण के लिये है। यह प्रशिक्षण मण्डलवार दिया जाना है। कुमाऊं मण्डल में कार्यरत कार्मिकों के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था उत्तरांचल प्रशासन अकादमी नैनीताल में की गयी है। प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने एवं खाने की व्यवस्था अकादमी में ही की जायेगी।

गढ़वाल मण्डल से सम्बन्धित राजस्व कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सचिवालय स्थित एन0आई0सी0 केन्द्र के द्वारा की जायेगी। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था सचिवालय के समीप होटल में की जायेगी, जिसमें दो कार्मिकों को एक कक्ष में ठहरने, रात का खाना एवं सुबह चाय तथा नाश्ते की व्यवस्था मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा की जायेगी। दिन में प्रशिक्षण के दौरान चाय आदि एवं खाने की व्यवस्था एन0आई0सी0 द्वारा की जायेगी।

इस प्रशिक्षण में प्रत्येक तहसील से निम्न प्रकार 10 कार्मिकों को सम्मिलित किया जायेगा:–

कमांक	पदनाम	संख्या	कमांक	पदनाम	संख्या
1.	तहसीलदार	01	2.	नायब तहसीलदार	01
3.	रजिस्ट्रार कानूनगो	01	4.	सह0 रजि0 कानूनगो	01
5.	कम्प्यूटर केन्द्र के कार्मिक	02	6	एग0जी0	01
7.	पटवारी / लेखपाल	03	–	कुल	10

तहसीलवार कार्मिकों का चयन करते हुए सूची अकादमी एवं एन0आई0सी0 देहरादून को मण्डलवार भेजी जाये। इस प्रशिक्षण में 25–25 कार्मिकों के बैच इस प्रकार बनाये जायेंगे कि एक संवर्ग के कार्मिक अधिकतर एक या दो बैच में पूरे कर लिये जायेंगे। इसका निर्धारण अकादमी एवं एन0आई0सी0 द्वारा किया जायेगा। इस प्रशिक्षण में प्रत्येक मण्डल के कुल 425 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाना है। अतः यह कार्यक्रम प्रारम्भ होने के बाद लगभग 5 माह तक निरन्तर चलेगा। तहसीलदार न्यायालय में चलने वाली नामान्तरण की कार्यवाही को भी कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है। अतः इस प्रशिक्षण में तहसील में कार्यरत मोहरिर ज्यूडिशियल को भी सम्मिलित किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रशिक्षण में होने वाले व्यय जो कमांक–3 पर अंकित है के विरूद्ध मांग पत्र अकादमी एवं एन0आई0सी0 देहरादून द्वारा अलग से मुख्य राजस्व आयुक्त को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर मुख्य राजस्व आयुक्त द्वारा धनराशि आहरित कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

इस प्रशिक्षण में रहने एवं खाने की व्यवस्था शासन स्तर से की जा रही है। अतः डी0ए0 भुगतान की व्यवस्था वित्तीय नियमों के अनुसार कार्मिकों को मात्र 25 प्रतिशत अनुमन्य किया जायेगा।

सलग्नक यथोपरि

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

No.18013/9/2001-LRD
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Land Resources

Block No: 11,6th Floor,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi-110 003.
Dated the 16th February, 2006.

To

The Pay & Accounts Officer,
Ministry of Rural Development,
Krishi Bhavan
New Delhi –1

Subject: Centrally Sponsored Scheme for Computerisation of Land Records- Release of Grants during the year 2005-2006 to the State Government of Uttaranchal.

Sir,

I am directed to refer to Principal Secretary, Revenue Department, Government of Uttaranchal letter No. 81/18(1)/2006 dated 25.1.2006 on the above subject and to convey the Administrative Approval of the President to the payment of additional amount of Rs. 158.20 lakh (Rs. One hundred fifty eight lakh and twenty thousand only) as per the break-up given below to the State Government of Uttranchal for incurring expenditure during the financial year of 2005-2006 under the scheme of Computerisation of Land Records.

2. The item-wise break-up of amount released during 2005-06 is given below:

(i) Setting up of District Land Records Data Centre in all the 13 Districts @ Rs. 8.50 lakh	Rs. 110.50 lakh
(ii) One time grant for Setting up of Monitoring Cell at State Hqr.	Rs. 20.00 lakh
(iii) Imparting training to Revenue officials	Rs. 27.70 lakh
Total	Rs.158.20 lakh

3. The aforesaid amount of Rs. 158.20 lakh is released out of sanctioned Budget Grant for the year 2005-2006 under Demand No.80- Department of Land Resources, Major Head: 3601- Grants-in-aid to the State Governments, 03- Grants for Central Plan schemes, 03.467- Land Reforms - Other Grants, 04- Modernisation of Revenue and Land Administration, 04.02-Computerisation of Land Records, 04.02.31- Grants-in-aid.